

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-86/2019-20

Punjab National Bank, B.S.City Branch

बनाम्

M/s Sri Narsingh Iron Steel Pvt. Ltd.

—: आदेश :-

08.10.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Sri Narsingh Iron Steel Pvt. Ltd. के Director Sri Vikram Kumar Bhaduria S/o Manoj Kumar Singh सा०-क्वा०सं०-814, सेक्टर-3/डी०, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो एवं अन्य के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Land and Building, Shed and Plant & Machinery covered under Original Lease Deed No. 368 dated 24.01.2004, Corrigendum Lease Deed No. 11043 dated 27.09.2010, Plot No. 4417(P), 4418(P) 4466(P) and 4623(P) Khata No. 243, 131, 283 and 243 total area 1.00 acre located at Marafari, Thana No. 16 Jaridih, Bokaro in name of Sri Vikram Singh Bhaduria and Sanjay Kumar Singh.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपाये 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पच्चास लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.09.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। शपथ पत्र दाखिल करने की तिथि तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 4,57,12,043.58/- एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) and (2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त

[Signature]
08.10.2021.

करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

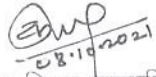
द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी के द्वारा समय आवेदन देकर सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा बराबर समय की माँग कर वाद को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

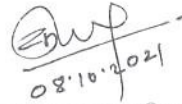
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Bokaro Steel City Branch, Bokaro, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


08.10.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


08.10.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।